

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2222

दिनांक 07/10/2022

प्रार्थीगण :-

1. सोनाराम पुत्र वीरमाराम, जाति जाट, अध्यक्ष जोगमाया मंदिर ट्रस्ट, गोलियार
2. चेतनराम पुत्र पूनमाराम, जाति जाट, पूजारी जोगमाया मंदिर ट्रस्ट गोलियार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. वलीखान 2. जमाल 3. साजन 4. नजाम 5. शोकत 6. भूराखान पि.
राणाखान 7. मारती पत्नि वक्ताखान 8. होती पत्नि वगताखान
9. दिलवर पुत्र वगताखान, जाति मुसलमान 10. मानाराम 11. सवाई पि.
लिछमणाराम 12. पदमा पत्नि तगाराम, जाति रबारी
13. सवाईसिंह पुत्र बलवंतसिंह, जाति राजपूत 14. हदाराम पुत्र
नारणाराम, निवासी गोलियार, तहसील चौहटन
15. तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 189/2018

दिनांक : 07.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा गोलियार के खेत खसरा सं. 132/104 रकबा 00.04 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2223 to 2226

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण सोनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण वलीखान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 07/10/2022

(भा.स.स.म II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन